(9)

आयोजनागत

संख्या- 413 /III(2)/11-03(बजट)/2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 23 मार्च, 2011

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक एवं प्रथम अनुपूरक मांग में आयोजनागत पक्ष में पुनर्विनियोग के द्वारा धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-8149/01 बजट (निर्माणाधीन मार्ग कार्य-रा0से0)/2010-11 दिनांक 11-03-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुदान सं0-22 के लेखाशीर्षक-5054 सड़क/भवन/सेतु कार्यो का प्रतिकर एवं एन0पी0वी0 भुगतान, 4059-लोक निर्माण भवन-चालू कार्य तथा 4059-पूल्ड आवास योजना-चालू कार्य की मद में संलग्न बी0एम0-15 के विवरणानुसार लेखाशीर्षक-5054 निर्माणाधीन मार्ग कार्य के अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में से **₹ 30.00 करोड़ (₹ तीस करोड़ मात्र)** की धनराशि को व्यावर्तित करते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0-8 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर -116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(ii)- आयोजनागत पक्ष की उक्त योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

(iii)- सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यो का पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यो का वरीयता दी जाये।

(iv)- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग- I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

(v)- इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्रः- 187/XXVII(1)/10 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

महिमा

(vi)– उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन ही समस्त प्रकियाये पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(vii)– साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(viii) साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर–17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix)– जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

(3)– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 955/XXVII(2)/2010 दिनांकः 22 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव।

संख्या– 1413 (1)/III(2)/11–03(बजट)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त, गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तराखण्ड देहरादून।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।

आय–व्ययक, प्रपत्र–15 पुनर्विनियोग 2010–11

वित्त नियंत्रक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, प्रशासनिक विभाग,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड शासन ।

अनुदान संख्या:–22 लेखाशीर्षक– 5054 (धनराशि हजार रु0 में)

बजट प्राविधान व लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि हेतु अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुनर्विनियोग के पश्चात कालम–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के पश्चात कालम–1 की कुल धनराशि	
01	02	03	04	05	06	07	
पूंजी लेखा: 5054– सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 800– अन्य व्यय 03– राज्य सेक्टर 01– चालू निर्माण कार्य 24– वृहत् निर्माण कार्य बजट प्राविधान 3380000	2245486	834514	300000(क)	पूंजी लेखा: (1) 5054– सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 800– अन्य व्यय 05– सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00– 24– वृहत् निर्माण कार्य स्थानान्तरित धनराशि 260000	710000	3080000	(क) निर्माणाधीन मार्ग कार्य (रा0से0) के अन्तर्गत अधिकांश कार्य डामरीकरण से सम्बन्धित होने तथा चालू वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में डामरीकरण के कार्यो हेतु मौसम कार्यानुकूल न होने के फलस्वरूप संगत योजनान्तर्गत 30 करोड़ की धनराशि की बचत सम्भावित होने के कारण। (ख) संगत योजनाओं में लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण।
				(ii) 4059– सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 80– सामान्य 800– अन्य भवन 10– लोक निर्माण (चालू कार्य) 00– 24– वृहत् निर्माण कार्य स्थानान्तरित धनराशि 15000	35000		
				(iii) 4059– सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 80– सामान्य 800– अन्य भवन 12– पूल्ड आवास योजना, (चालू कार्य) 00– 24– वृहत् निर्माण कार्य स्थानान्तरित धनराशि 25000	45000		
3380000	2245486	834514	300000(क)	300000 (ख)	790000	3080000	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट के परिच्छेद 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
यू0ओ0 संख्या– 955(1)/XXVII(2)/2010
देहरादून दिनांक: 22 मार्च, 2011

पुर्नविनियोग स्वीकृत।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

महालेखाकार,उत्तराखण्ड,
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,
देहरादून ।

संख्या– 1413 (1)/III(2)/11–03(बजट) /2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून।

महिमा
(महिमा)
अनु सचिव।